भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1082

दिनांक 26.07.2023 को उत्तर देने के लिए

आयुष्मान भारत योजना

1082. **श्री अजय कुमार मंडल:**

श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

श्रीमती रीती पाठक:

श्रीमती गीता कोड़ा:

श्रीमती रमा देवी:

श्रीमती नवनित रवि राणा:

श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग ने सरकार की आकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घातक बीमारियों से पीड़ित लोगों को उक्त योजना से लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत आम जनता को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए नीति आयोग द्वारा सुधारात्मक उपाए किए जाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग, मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी - पीएमजेएवाई) सहित केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आउटपुट और परिणाम की निगरानी

करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के आउटपुट और परिणाम संकेतकों की प्रगति **अनुलग्नक -I** में संलग्न है।

(ख) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई), जो आयुष्मान भारत फ्लैगशिप कार्यक्रम के घटकों में से एक है, पात्र परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रु. का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। एबी पीएम-जेएवाई कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य बीमारियों सहित 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1,949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान करता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एबी पीए-जेएवाई लाभार्थियों को उन उपचारों/प्रक्रियाओं की देखभाल से वंचित नहीं किया जाए, जो स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) में शामिल नहीं हैं, अत: योजना के तहत ऐसी प्रक्रियाओं के लिए उपचार का लाभ उठाने के लिए एचबीपी में 1 अनिर्दिष्ट पैकेज शामिल किया गया है।

(ग) ऊपर क) (अनुलग्नक I) और ख) में उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का आउटपुट/परिणाम-वार वार्षिक लक्ष्य और उनकी प्रगति					
आउटपुट			**परिणाम**		
आउटपुट संकेतक़	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**परिणाम संकेतक**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
1. अस्पताल में प्रवेश (लाखों में)	90.09	165.54	1. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अस्पताल में प्रवेश की संख्या (प्रति लाख लाभार्थी) में परिवर्तन का %	2%	12.5%
2. प्रत्येक लाभार्थी को जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की अनुमानित संख्या (लाखों में)	300	918.83	2. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान आयुष्मान कार्ड वाले परिवार की संख्या में परिवर्तन का %	5%	302.8%
3. प्रस्तुत दावों की राशि (करोड़ रुपए में)	9,574.14	19,132.92	3.पिछ्ले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों में परिवर्तन का %	10%	25.3%
4. इस वर्ष के दौरान पैनल में शामिल सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की कुल संख्या	2,200	2,941	4. पिछ्ले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान संचयी रूप से सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या में परिवर्तन का %	10%	11.2%

स्रोत: ओओएमएफ डैशबोर्ड, जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट प्रदान की गई है